

04-12-19

अपीलांत के अधिवक्ता उपास्थित। अपीलांत की ओर से इस प्रकरण में पैरती हिदायत नही होने से अधिवक्ता अपीलांत द्वारा नो-प्रिजिडियेणस Plead किया है। अपीलांत को न्यायालय समय में अलग-अलग तीन बार उपास्थित होकर पैरती हेतु आवाज लगाई गई। अपीलांत बावजूद सूचना अनुपास्थित रहने से यह अपील अदम पैरती एवं अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल नुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

ला कलक्टर
बाइमे

NO Pleadings
M
4/12/19